दी जिसका नाजायज फायदा उठाते हुऐ प्रतिवादी वादी के विरूद्ध 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर वादी का कब्जा हटाना चाह रहे हैं जिसका प्रतिवादी को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाकर के प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम कानाखेड़ा के हाल आ.सं. 708 रकबा 3.89 है. आराजियात में से 0.54 है. आराजियात पर से वादीका कब्जा नहीं हटावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए बाद सम्मन तामील प्रतिवादी उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य वादी में श्री भैरूलाल पिता लेहरू निवासी कानाखेड़ा पी.डब्ल्यू. 1 का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेज हाल जमाबंदी सम्वत 2075–78 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत 2041–44 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, प्रदर्श कराये। और साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी दिनांक 15.10.2025 को बंद की गई, पैराकार सरकार द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई, उपस्थित पैरोकार सरकार ने राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाने की घोषणा की जाना उचित नहीं बताया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 अस्वीकार किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested